भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2321
सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की गई पहलें

†2321. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री लल्लू सिंह:
श्री टी.आर. बालू:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पहलों के परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र को क्या लाभ और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं/पहलों के तहत कई कदम उठाए/उपाय किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

i. पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है ।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है ।

iii. आतिथ्य सहित घरेलू सवंर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/महोत्सवों तथा पर्यटन संबंधी समारोहों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

iv. नागरिकों को अपने देश की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई ।

v. अन्य निश उत्पादों में निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको-पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का व्यापक रूप से संवर्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे का विस्तार किया जा सके ।

vi. 167 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की 7 उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा हेतु ई-वीजा की सुविधा मुहैया कराना ।

vii. ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है ।

viii. पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए 1,001 रु. से 7,500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7,501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया है ।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी आरसीएस-उड़ान योजना में सहयोग किया है । पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए अब 53 पर्यटन मार्गों का प्रचालन शुरू हो गया है ।

x. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित एवं पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म बनाना है ।

xi. बेहतर मानक सेवा मुहैया कराने के लिए श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन ।

xii. आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है, जो डिजिटलीकरण की सुविधा और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र हेतु व्यापार में सुगमता प्रदान करने के लिए है। इस पहल को न केवल आवास इकाइयों, बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाइयों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, कन्वेंशन सेंटर और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं की अधिक समावेशिता के लिए निधि + के रूप में अपग्रेड किया गया है ।

भारत में 2018 से 2022 की अवधि के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	डीटीवी (लाख में)	एफटीवी (लाख में)
2018	**18537.9**	**288.5**
2019	**23219.8**	**314.1**
2020	**6102.2**	**71.7**
2021	**6776.3**	**10.5**
2022	**17310.1**	**85.9**

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभाग

*****